उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–3
संख्या: 32/2015/857/47–का–3–2015–13/19/2015
लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2015

अधिसूचना संख्या: 32/2015/857/47–का–3–2015–13/19/2015, दिनांक 11 मई, 2015 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करने हेतु।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-3
संख्या: 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015
लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 कही जायेगी।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
अध्यारोही प्रभाव	2		यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गई किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
नियमावली का लागू होना	3		यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन समूह 'ग' के ऐसे पदों के अलावा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा 2 के परन्तुक के अधीन अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा सीधी भर्ती के सम्बन्ध में आयोग की परिधि के बाहर विनिर्दिष्ट कर दिये जायं, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के लिए ऐसे पदों पर लागू होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के अधीन सीधी भर्ती के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, आयोग की परिधि के भीतर विनिर्दिष्ट कर दिये जायं।
परिभाषायें	4		जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-
		(क)	समूह 'ग' के पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु सशक्त है;
		(ख)	"आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;
		(ग)	"संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
		(घ)	"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

			प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जो कि इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों में जोड़े जाएंगे। (चार) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसे कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त औसत अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जितना वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर औसत अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा जो आयु में ज्येष्ठ होगा। आयोग सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।
		(3)	जब उप–नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती केवल लिखित परीक्षा के आधार पर की जानी हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:– (एक) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जाएंगे। (दो) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो। (तीन) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। (चार) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसे कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक

		(ङ)	"राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
		(च)	"समूह 'ग' के पदों" का तात्पर्य उन पदों से है जो समय-समय पर सरकार द्वारा समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत किए जांय;
		(छ)	"भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।
सीधी भर्ती की रीति	5		समूह 'ग' के पदों के लिए, यथा स्थिति, जहां भर्ती का स्रोत एकमात्र सीधी भर्ती है, अथवा सीधी भर्ती, भर्ती का एक स्रोत है, सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।
आरक्षण	6		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
रिक्तियों का अवधारण	7		नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विहित अधियाचन प्रपत्र में आयोग को सूचित करेगा।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	8	(1)	सीधी भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के अंक और उससे संबंधित नियम ऐसे होंगे जो समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा विहित किए जांय।
		(2)	जब उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की जानी हो, तो निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायेगी:- (एक) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जाएंगे। (दो) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो। (तीन) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक

			अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा जो आयु में ज्येष्ठ होगा। आयोग सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।
		(4)	जब उप–नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:– (एक) चयन के लिए विचार किए जाने हेतु आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा प्राप्त किये जाएंगे। (दो) आयोग, नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हो, जैसा कि आयोग उचित समझे। (तीन) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में, जैसे कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा, जो आयु में ज्येष्ठ होगा। आयोग सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आज्ञा से

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.32/2015/857/47-ka-3/2015-13/19/2015, dated 11 May, 2015

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-3
NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 32/2015/857/47-ka-3/2015-13/19/2015

Lucknow: Dated : 11 May, 2015

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH DIRECT RECRUITMENT TO GROUP 'C' POSTS (MODE AND PROCEDURE) RULES, 2015

Short title and commencement	1.	(1)	These rules may be called The Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015.
		(2)	They shall come into force at once.
Overriding effect	2.		These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders for the time being in force.
Applicability	3.		These rules shall apply to direct recruitment to Group 'C' posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, which are specified, by the Government, by notification, within the purview of the Commission, in relation to direct recruitment, under section 2 of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2014 except such Group 'C' posts which are specified outside the purview of the Commission, by the Government, by notification, in relation to direct recruitment, under the proviso to section 2 of the said Act.
Definitions	4.		In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :
		(a)	"appointing authority" in relation to any Group 'C' post

			means the authority empowered to make appointment to that post;
		(b)	"Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;
		(c)	"Constitution" means the Constitution of India ;
		(d)	"Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;
		(e)	"Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
		(f)	"Group 'C' posts" means the posts as classified in Group 'C' by Government from time to time ;
		(g)	"year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.
Mode of direct recruitment	5.		Direct recruitment to Group 'C' posts, where direct recruitment is the only source of recruitment or, as the case may be, direct recruitment is one of the sources of recruitment, shall be made through the Commission.
Reservation	6.		Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act,1994, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.
Determination of vacancies	7.		The appointing authority shall determine and intimate to the Commission, in the prescribed Requisition Form, the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.
Procedure for direct recruitment	8.	(1)	The procedure for direct recruitment, the syllabus, marks of written examination/interview and the rules relating thereof shall be such as prescribed by the Commission from time to time with the approval of the Government.
		(2)	When, in accordance with the provisions of sub-rule (1) direct recruitment is to made on the basis of written examination and interview, the following procedure shall be followed:-

			(i) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.
			(ii) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.
			(iii) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.
			(iv) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.
		(3)	When, in accordance with the provisions of sub-rule (1) direct recruitment it to be made on the basis of written examination only, the following procedure shall be followed :-
			(i) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.
			(ii) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

			(iii) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, prepare a list of candidates who have come up to the standard fixed by the Commission in this respect.
			(iv) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidate obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.
		(4)	When, in accordance with the provisions of sub-rule (1) direct recruitment is to be made on the basis of interview only, the following procedure shall be followed :-
			(i) Application for being considered for selection shall called by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.
			(ii) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper.
			(iii) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. It two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

By order,

(Rajiv Kumar)
Principal Secretary